



International Journal of Advance Studies and Growth Evaluation

भील जनजाति मे विवाह की पद्धतियाँ: एक भारतीय दर्शन

*¹ डॉ. रामेश्वर शिन्द

*¹ पोस्ट डॉक्टरल फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली, भारत।

Article Info.

E-ISSN: 2583-6528

Impact Factor (SJIF): 6.876

Peer Reviewed Journal

Available online:

www.alladvancejournal.com

Received: 08/Sep/2024

Accepted: 11/Oct/2024

*Corresponding Author

डॉ. रामेश्वर शिन्द

पोस्ट डॉक्टरल फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएसएसआर, जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली, भारत।

सारांश:

आदिवासी समुदाय एक विस्तृत समुदाय हैं जिनकी अपनी परम्पराएँ, रीति-रिवाज, एवं संस्कृति होती है इन्ही मे से एक है विवाह क्योंकि विवाह प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम हो या सभ्य समाज उसकी संस्कृति का एक आवश्यक अंग होता है। क्योंकि यह वह स्थान है जिसके आधार पर समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार का निर्माण होता है। मानव जीवन के सातत्य को बनाये रखने का सबसे मौलिक और सार्वभौमिक समूह परिवार कहलाता है। भीलों में परिवार पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, पितृवंशीय अधिकार प्राथमिक या एकांकी और मुख्यतः एक विवाही तथा गौत्र बहिर्विवाही होते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पुरुष प्रधानता के कारण स्त्रियों का महत्व गौण हो जाता है बल्कि कहीं-कहीं स्त्री की प्रधानता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं जैसे भीलों में प्रचलित वधू मूल्य और वधू मूल्य न चुका सकने की स्थिति में विवाह हेतु 5 वर्ष तक स्त्री के घर में कार्य करना, स्त्री को मन पसंद जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता, लड़की के पैदा होने पर भी उतनी ही खुशी मनाता जितना कि लड़का पैदा होने पर होती है, कार्यों में समान भागीदारी, मामा का महत्व जैसा कि मातृसत्तात्मक परिवारों में होता है।

मुख्य शब्द: संस्कृति, पितृसत्तात्मक, स्त्री प्रधानता, वधू मूल्य तथा मातृसत्तात्मक परिवार।

प्रस्तावना:

देश का शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा जिसमें मध्यप्रदेश की तरह 46 आदिम जातियाँ और 9 विशेष विशेष पिछड़ी जनजातियाँ निवास करती हों। प्रदेश की कुल आबादी में भी उनका लगभग एक चैथाई हिस्सा है। आबादी के इस बड़े हिस्से को उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाना एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। आजादी के बाद परिदृश्य बदला भारत के संविधान में व्यक्ति सामाजिक न्याय के संकल्प ने अनुसूचित जनजातियों को ष्ममता के अधिकार से सम्पन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिये हैं। अध्ययन को अधिक विश्वसनीय एवं मौलिक बनाने के लिए विस्तृत जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है। चूँकि शोध निदर्शन भील महिलाएँ हैं अतः इन महिलाओं की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन, संस्कृति, परंपराएँ, विवाह की पद्धतियों आदि को जानना और भी आवश्यक होने से उक्त विवरण को अध्ययन में शामिल किया गया है। समुदाय के क्रियाकलापों को जानने हेतु चयनित क्षेत्र के समुदाय के बीच कुछ समय बिता कर महिलाओं, उनके माता-पिता, पटवारियों, सरपंच, बड़वो, स्थानीय व्यक्तियों आदि से जानकारी एवं अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत किया गया है- भील जनजाति में विवाह-

भीलों में विवाह की कुछ परम्पराएँ और मान्यताएँ हैं भील विवाह उन्हीं के आधार पर किया जाता है। इनमें विवाह की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

1. भीलों में युवति जब तक रजस्वला नहीं हो जाती उसका विवाह नहीं किया जाता।
2. भीलों में विधवा को पुनर्विवाह करने की छूट है।
3. एक समर्थ पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है।
4. लड़की की उम्र लड़के से कम होना अनिवार्य नहीं है।
5. भील गौत्र बहिर्विवाही है।
6. भीलों में “दापा” अर्थात् वधू मूल्य का प्रचलन है।
7. यह राशि 100-200 रुपये से 25-30 हजार रुपये तक हो जाती है।
8. भीलों में विवाह की अलग-अलग पद्धतियाँ हैं।

भीलों में विवाह की पद्धतियाँ-

1. ब्याव

भीलों में ब्याव, विवाह का सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूप है। यह स्वयं लड़के तथा लड़की के माता-पिता की परस्पर सहमति से तय होता है। इस वैवाहिक रूप में वधू मूल्य सर्वाधिक होता है।

सगाई हेतु रविवार का दिन उपयुक्त माना जाता है। इस दिन पांच व्यक्ति साथ में शराब की बोतल लेकर सुबह-सुबह लड़का या लड़की देखने जाते हैं। यदि रास्ते में कहीं पर चिड़िया दिखती है और यदि चिड़िया प्यार से एक दूसरे से चहचहाती हुई या चोंच में चोंच डाले हुए दिखती है तो शकुन ठीक माना जाता है। लेकिन यदि चिड़िया आपस में झगड़ते हुए दिखती है तो अपशकुन माना जाता है। अपशकुन की स्थिति में वापस आ जाते हैं दूसरे दिन जाते हैं। यदि शकुन ठीक होता है तो गांव की सीमा पर जाकर शराब चढ़ाते हैं। लड़की के घर पहुंचने पर यदि लड़की सिर पर औढ़नी रखे हुए दिखती है तो उसे विवाह हेतु उपयुक्त माना जाता है अन्यथा नहीं और ऐसी स्थिति में यह भी नहीं बताया जाता है कि लड़की देखने आये थे। इसी प्रकार जब लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं तो सिर पर लकड़ी रखे हुए स्त्री-पुरुष को रास्ते में देखना अपशकुन मानते हैं। लड़के के घर पहुंचने पर यदि लड़का पगड़ी बांधे हुए नहीं मिलेगा तो विवाह की बात रद्द कर दी जाती है। परंतु अधुनिकरण के कारण लड़को पगड़ी पहनना पसंद नहीं है अतः आजकल इस बात की बात की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

लड़का या लड़की पसंद कर लिये जाने के बाद विवाह की बात होती है। इसमें “भांगड़िया” (मध्यस्थ) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही वधु मूल्य तय करने का कार्य करता है। “भांगड़िया” लड़की वाले के घर से मक्का के दाने लड़के वालों के घर लाता है। एक दाना 1000 रुपये के बराबर होता है। यदि वह 20 दाने लाता है तो इसका अर्थ है कि लड़की का पिता वधु मूल्य के रूप में 20,000 रुपये चाहता है। तब लड़के की ओर से कुछ कम दाने भेजे जाते हैं यह क्रिया छः बार तक चलती है और अंतिम फैसला होता है और वधु मूल्य तय हो जाता है। यदि लड़के वाले तत्काल वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होते अथवा लड़की रजस्वला नहीं होती तो विवाह की रस्म कुछ समय के लिए टाल दी जाती है। यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष की होती है इस अवधि के बाद लड़के-लड़की के माता-पिता पुनः मिलते हैं और विवाह की तिथि निश्चित कर ली जाती है।

विवाह के कुछ दिन पहले लड़के वाले लड़की के पिता को वधु मूल्य की पहली किश्त दे देता है। इस अवसर पर दोनों और से एक शराब का मटका लाते हैं और साथ बैठकर पीते हैं तथा लड़की का पिता भोजन कराता है। विवाह की तैयारी के लिए महुए की शराब, मेहदी, हल्दी, तम्बाकू, लड़के-लड़की को स्नान करवाने के लिए नये मटके, सुपारी, नारियल, नये कपड़े, जांघिया, पगड़ी, मुकुट की व्यवस्था की जाती है।

दो दिन पहले लड़के वालों की ओर से लड़की वालों के घर लाल लुगड़ा, लाल घाघरी, सफेद झूलिया (ब्लाउज) तेल, नारियल, मेहदी, हल्दी, जेवर, आदि पहुंचा दिये जाते हैं। विवाह के कुछ दिन पहले “बाना” बैठता है इसका अर्थ है कि विवाह प्रारंभ हो गया है। इस दिन लड़के और लड़की को अपने-अपने घर पर हल्दी का लेप किया जाता है तथा इस दौरान वे भोजन हेतु अपने रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों के घर आयोजित व आमंत्रित किये जाते हैं। “बाना” के आखिरी दिन पुजारी बिरसरी बनाता है। दुल्हे को चादर के नीचे नदी तक ले जाते हैं स्त्रियां गीत गाती हैं और वहां से पानी भरकर लाते हैं और पूजारा दुल्हें को नहलाता है। तत्पश्चात् पूजारा पूजा-पाठ करता है। पूजा के बाद आमंत्रित लोगों को तेल-गुड़ और घिरसरी बांटी जाती है जिसे सब मिलकर खाते हैं फिर दोपहर में लड़के को पगड़ी बांधी जाती है। सभी रिश्तेदार दुल्हे के लिए अपने-अपने घर से चावल, जलेबी इत्यादि लाते हैं गांव से भी सामूहिक रूप में आता है लड़के को खिलाया जाता है और सब खाते हैं। लड़की वालों के घर भी यही सब होता है। तीसरे दिन दुल्हा बारात लेकर लड़की के घर जाता है। लड़की के घर जाने से पूर्व दुल्हा अपनी मां का स्तन चूसता है जिस पर पहले से शक्कर का घोल लगा दिया जाता है। माँ के न होने पर भाभी ऐसा करती है। यह प्रथा “महत” कहलाती है।

लड़की के घर दुल्हा-दुल्हन को मंडवे के नीचे पटले पर बिठाते हैं और काकड़ पेड़ की लकड़ी दोनों के चारों ओर रखते हैं तथा एक लकड़ी बीच में गाड़ते हैं। पुजारा दुल्हा-दुल्हन का पल्लू बांधकर लकड़ी के चारों ओर पांच फेरें लगवाता है और भोजन का समारोह किया जाता है।

बिदाई के समय दो सुपारियाँ जमीन में गाड़ी जाती हैं तथा लड़के और लड़की की आंखें पट्टी बांधकर बन्द कर देते हैं फिर उन्हें सुपारी ढूँढ़ने को कहा जाता है। यदि सुपारी दुल्हे के हाथ में पहले आ जाती है तो इसका अर्थ है कि उनके घर पहले लड़का होगा और इसके विपरीत लड़की। बिदाई के बाद आते समय रास्ते में जहां-जहां नाले आते हैं वहां सुपारी फोड़ी जाती है और शराब की बूँदे डाली जाती है। गांव की सीमा पर आने पर गणेश भगवान की पूजा की जाती है। लड़के के घर में आने पर बकरा काटा जाता है और खुशी मनाई जाती है। उनका गृह प्रवेश करने के बाद घर के अन्दर लकड़ी का छोटा हल चलवाया जाता है। जिसमें लड़की मक्का बोती है। इस तरह के अन्य रीति-रिवाजों को करने के बाद उसी दिन शाम को दुल्हन को बिदा कर दिया जाता है और 7-8 दिन बाद वापस ले आते हैं। इस दौरान पूरा वधु मूल्य चुका दिया जाता है।

2. नात्रा

वधु मूल्य की अधिक मांग अथवा अन्य कारणों से जब व्यक्ति की प्रतिष्ठित विधि को अपनाना सम्भव नहीं होता है तो भीलों में विवाह के लिए दूसरी विधियां हैं। उन्हें अपनाया जाता है। इनमें से नात्रा एक है। नात्रा दो प्रकार का होता है- एक कुंजारी नात्रा और दूसरी रांडी नात्रा।

कुंजारी नात्रा- जब किसी अविवाहित लड़के-लड़की में पूर्व वैवाहिक यौन सम्बन्ध स्थापित हो जाये विशेष कर सगाई की रस्म से बंधी लड़की में तो इसका पता चलने पर सगाई से बंधे लड़के का परिवार क्षतिपूर्ति का दावा करता है और क्षतिपूर्ति होने पर दोनों प्रेमियों का विवाह करने की अनुमति दे दी जाती है।

रांडी नात्रा- इनमें किसी भी विधवा स्त्री को जो अवैध यौन सम्बन्ध रखती है अपने प्रेमी से विवाह की अनुमति दी जाती है बशर्ते प्रेमी विधवा के पति गृह को वधु मूल्य चुका दे। ब्याव के मुकाबले इस प्रकार के विवाह में चुकाया जाने वाला वधु मूल्य अत्यन्त कम होता है और विवाह समारोह भी अत्यन्त सादा होता है।

3. उदल

इसमें लड़की अपने प्रेमी के घर घुस जाती है और अपनी मंशा जाहिर कर वहीं रहने लगती है। लड़की के पिता को जब पता चलता है तो वह लड़के वाले के घर पहुंचकर धरना देकर पंचायत बुलाता है। अंततः दोनों के बीच पंचायत की मदद से वधु मूल्य ले लिया जाता है। जो अपेक्षतया काफी कम होता है तय कर दिया जाता है। इसमें वधु मूल्य कुछ नगद और शेष सामग्री जैसे अनाज, बकरा आदि के रूप में चुकाया जाता है।

4. घर जमाई

वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ लड़का अपने ससुर के घर रहकर निश्चित अवधि तक श्रम करता है। इस अवधि के पश्चात् उसका विवाह लड़की से कर दिया जाता है। कभी-कभी जब किसी भील परिवार में लड़का नहीं होता तो किसी लड़के को अपने घर रख लेता है और अपनी लड़की के साथ उसका विवाह कर देता है। इस विधि के अन्तर्गत संबंधित परिवार अपनी लड़की के लिए उपयुक्त वर की बाहर खोज नहीं करता है और छोटी सगाई की रस्म द्वारा लड़के को कुछ समय तक परीक्षण के तौर पर अपने पास रखता है और उसके व्यवहार को संतोषजनक पाने पर बड़ी सगाई की रस्म द्वारा उसका विवाह अपनी लड़की से सम्पन्न करा देता है। इस प्रकार के विवाह में वधु मूल्य पर जोर नहीं दिया जाता है।

5. झगड़ा

विवाह की यह पद्धति विवाहित स्त्रियों द्वारा अपनाई जाती है जिसमें वे अपने पसन्द के अन्य व्यक्तियों के साथ भाग जाती है। इसका पता चलने पर वैध पति के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है जिसमें वह अपना दावा प्रस्तुत करता है। यदि वैध पति अपनी पत्नी का झगड़ा व्यवहार मान्य करता है तो उसे वधू मूल्य की क्षतिपूर्ति के रूप में विवाहित स्त्री के नये पति द्वारा लगभग 300 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि वैध पति झगड़ा स्वीकार नहीं करता तो उसे रुपये नहीं मिलते हैं और वह अपनी पत्नी को वापस ले जाता है। इसके बाद यदि उसकी पत्नी दुबारा भाग कर उसी व्यक्ति के पास आ जाती है तो उसके वैध पति को फिर किसी प्रकार से वधू मूल्य की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती।

6. धीहिलिया

यदि कोई अविवाहित जोड़ा भगुरिया हाट के पूर्व ही विवाहित होना चाहता है तो वह 'धीहिलिया' का तरीका अपनाता है। इस विवाह पद्धति में युवक सभी की उपेक्षा करके पसंद की गई लड़की को उसकी सहमति अथवा जबरदस्ती भगा ले जाता है। इस घटना के होने पर माता-पिता द्वारा पंचायत बुलाई जाती है और उसकी सहमति से लड़के वालों के उपर 300 से 500 रुपये तक के बीच वधू मूल्य आरोपित करते हैं। यदि जाति पंचायत में यह मामला किसी प्रकार नहीं निबट पाता तो पुलिस को रिपोर्ट की जाती है और यह एक अपराध का रूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के तहत अपहरण एक गम्भीर किस्म का अपराध है लेकिन इन प्रकरणों में अन्य धाराएं भी लगाई जाती हैं जैसे लड़की के अवयस्क होने पर धारा 376 लगाई जाती है। लड़की को एक ही स्थान पर परिबद्ध करने पर धारा 342 लगाई जाती है। इन कारणों से धीहिलिया प्रथा को अधिक मान प्राप्त नहीं है।

7. भगुरिया

भगुरिया मेले के अवसर गुलाल मलने के बाद वैवाहिक मान्यता की सामाजिक क्रिया निम्न रूपों में घटती है-

1. युवक-युवती परस्पर सहमति से समय पाकर चुपचाप जंगल में भाग जाते हैं या रिश्तेदार के घर छुप जाते हैं। इसके बाद लड़का-लड़की को लेकर अपने घर लौट आता है तब अभिभावकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे इसकी सूचना लड़की के माता-पिता को दें। सूचना पाकर लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। इसमें लड़के या लड़की को प्रताड़ित नहीं किया जाता। पंचायत वधू मूल्य तय कर देती है और वधू मूल्य चुका देने पर वे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर लेते हैं।
2. जब भगुरिया हाट के नृतक दल अपने गांव लौटता है, उससे पहले उसमें शामिल लड़की की और लड़का इशारा कर देता है या बता देता है कि उसे वह पसंद करता है बाद में लड़के के माता-पिता लड़की के घर पहुंचते हैं और वधू मूल्य तय कर लेते हैं जिसका कुछ अंश जो 10-20 रुपये होता है तत्काल चुका दिया जाता है और उस रुपये से शराब मंगाकर सामूहिक रूप से पी जाती है बाद में पूरा वधू मूल्य चुका देने पर विधिवत विवाह कर दिया जाता है।
3. जब बार-बार गुलाल मलने पर भी लड़की कोई प्रत्युत्तर नहीं देती तब लड़का अपने साथियों के सहयोग से उसे भगाना चाहता है तब लड़की के अन्य दावेदार और रिश्तेदार विरोध करते हैं और संघर्ष होने लगता है फिर भी लड़का वीरता पूर्वक अपहरण करने में सफल हो जाता है। बाद में लड़के के माता-पिता लड़की के माता-पिता से मिलकर वधू मूल्य तय करते हैं तथा विवाह कर देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हिंसा के बावजूद मामला पुलिस को नहीं सौंपा जाता है और अपहरण के बाद किसी प्रकार की बदले की कार्यवाही भी नहीं की जाती है।

संदर्भ सूची:

1. चांदेकर, रमेश (1994). "ए स्टडी ऑफ भील" इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ म.प्र. पीएच.डी. थीसिस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
2. कीमति, अनिता (1993) आदिवासी महिलाओं का स्वास्थ्य (झाबुआ भील आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में) पी.एच.डी. थीसिस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
3. मजूमदार, डीएन एन (1963) "ट्राईबल रिहेबीलेशन इन इण्डिया" सोशल चेंज एण्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यूनेस्को, पेरिस, पृष्ठ संख्या-119
4. राजोरा, सुरेश चंद्र (1987) "सोशल स्ट्रक्चर एण्ड ट्राईबल अलाइड्स हिमांशु पब्लिकेशंस उदयपुर पृष्ठ संख्या-11-12
5. "राव आदित्येन्द्र" 1988 ट्रायबल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन "हिमांशु पब्लिकेशंस" फसूट एडीशन, पृष्ठ संख्या-14
6. अग्रवाल, जे.पी. "राष्ट्रीय शिक्षा निति", 2000.
7. आचार्य राममूर्ति - शिक्षा, संस्कृति और समाज, पृ.क्र. 38.
8. भटनागर सुरेश - आधुनिक भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएँ, पृ.क्र. 24.
9. डॉ. वर्मा, एम.एल. भीलो की सामाजिक व्यवस्था, क्लासिकल पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1995.
10. मदन, जी.आर. भारतीय सामाजिक समस्याएँ (विवेक प्रकाश दिल्ली), 1990.
11. तिवारी, विजयकुमार, भारत की जनजातियाँ (म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल), 1998.